सत्यमेव जयते

संख्या– 4048 /जी0एस0(शिक्षा)/**A15-75**/2023

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होपटाउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 20 नवम्बर, 2025

महोदय,

कृपया आपके द्वारा पत्र संख्या 2561 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 तथा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230829101626 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित सत्रों के प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या प्रति सत्र	
		2020–21 2021–22	2022–23 2023–24
पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड मेडिकल साइंसेज, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी।	बी0एससी0–नर्सिंग	50	50
	एम0एससी0–नर्सिंग	13	13
	एन0पी0सी0सी0–नर्सिंग	10	10
	पो0 बेसिक बी0एससी0–नर्सिंग	—	40

(1) प्रस्ताव के साथ सत्र 2020–21 व सत्र 2022–23 में नियामक संस्था से प्राप्त मान्यता पत्र की प्रति संलग्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि संस्थान से एक माह के भीतर वांछित मान्यता प्राप्त होने की पुष्टि कर ली जाए, तदोपरान्त ही अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत किये जायें और तद्नुसार कृत कार्रवाई से राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत कराया जाय।

(2) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित

किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान से सत्र 2025–26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(3) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति / सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 4048 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A15-75** /2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 14-11-2025
16:02:46

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उप सचिव।

Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 14-11-2025
13:47:43

File No. RB-EDUC02/71/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 331)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 20/11/2025 11:28 am